

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

डाकघर:केट
इंदौर -452 013

निविदा सं. आरआरकेट/प्रशा/जीए/लेज़र वर्कशॉप/2026 दिनांक 19/06/2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र (आरआरकेट), डाक – केट, इन्दौर-452 013 द्वारा प्रतिष्ठित पेशेवर केटरर्स/ ठेकेदारों से लेज़र वर्कशॉप के पास स्थित चाय पैंट्री को कार्यालीन समय के दौरान (सुबह 0900 बजे से शाम 0530 तक) चलाने हेतु , दो वर्षों की अवधि के लिए ठेका आधार पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	:	30/06/2026 को 15:00 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	:	30/06/2026 को 16:00 बजे वेतन और लेखा अधिकारी आरआरकेट के कार्यालय में
बयाना जमा राशि (EMD)	:	₹ 10000/- (₹ दस हज़ार मात्र) (निविदा दस्तावेज़ के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी, आरआरकेट के पक्ष में देय अनुसूचित बैंक द्वारा जारी खाता देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा एफ. डी. प्रस्तुत करना होगा)
सुरक्षा जमा	:	₹ 20000/- (₹ बीस हज़ार मात्र) (आरआरकेट के वेतन एवं लेखाधिकारी के पक्ष में देय अनुसूचित बैंक द्वारा जारी खाता देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या एफ. डी., जो ठेका आवंटन से 10 दिनों की अवधि में प्रस्तुत किया जाए)
संपर्क सं.	:	0731-2488815, 0731-2488888

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

2. निविदा दस्तावेजों को अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों के साथ वेबसाइट www.rrcat.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा को उपरोक्त कथित EMD के साथ ही प्रस्तुत करना होगा, इसके बगैर निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

3. बोलीकर्ता अपनी बोली/निविदा को सीलबंद कवर में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, डाकघर: केट, इन्दौर-452 013, (म.प्र.) के पते पर बोली प्रस्तुत करने की दिनांक तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करें। लिफाफे के कवर पर "निविदा सं. आरआरकेट/प्रशा/जीए/लेसर वर्कशॉप/2026 दिनांक 19/06/2026, लेज़र वर्कशॉप के पास स्थित चाय पेंट्री को कार्यालीन समय के दौरान (सुबह 0900 बजे से शाम 0530 तक) चलाने हेतु, निविदा निविदा/बोली प्रस्तुत करने की दिनांक को या उससे पूर्व निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें।

- (i) ठेकेदार के पास समान कार्य के लिए तीन साल का अनुभव प्रमाणपत्र होना चाहिए जो किसी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से जारी किया गया हो। खाद्य पदार्थों से सम्बंधित सेवा होने से MSME के लिए अनुभव में छूट नहीं दी जाएगी।
- (ii) जीएसटी(GST) तथा पैन (PAN) पंजीयन।
- (iii) पिछले दो वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति।
- (iv) वैध व्यवसाय लायसेंस (कार्यालय नगर पालिक निगम, इंदौर से जारी लायसेंस)।
- (v) वैध स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र।
- (vi) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी वैध पंजीयन प्रमाण पत्र।
- (vii) ₹ 20000/- (₹ बीस हजार मात्र) बयाना जमा राशि (EMD) का डिमांड ड्राफ्ट।
- (viii) ठेकेदार को आर आर केट में एक ही दुकान टी पेंट्री, कैंटीन, या रेस्टोरेंट का आवंटन किया जायेगा।
- (ix) बोलीकर्ताओं द्वारा वर्तमान में संचालित टी पेंट्री कैंटीन रेस्टोरेंट का निरीक्षण एवं कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन निम्न बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा इस विषय में समिति सदस्यों का निर्णय अंतिम होगा।

क्र. सं	विवरण	अधिकतम अंक	मूल्यांकन
1	समरूप श्रेणी के कार्यों में अनुभव	50	03 वर्षों का अनुभव (न्यूनतम) (i) न्यूनतम पात्रता मापदंड के लिए 60% अंक (ii) न्यूनतम पात्रता मापदंड से दोगुना या अधिक के लिए 100 %। (iii) (i) और (ii) के बीच में यथा अनुपात के आधार पर
2	निरीक्षण की तिथि पर संचालित प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन भौतिक निरीक्षण के आधार पर जायेगा	50	निविदाकार द्वारा 1. मौजूदा प्रतिष्ठान में तैनात स्टाफ 2. हाउस कीपिंग 3. ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक तथा 4. निविदाकार के व्यवहार आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा
कुल न्यूनतम योग्यता अंक 60% एवं प्रत्येक मद में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।			

समिति द्वारा मूल्यांकन में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले बोलीकर्ता को ठेका प्रदान किया जायेगा

4. उपरोक्त निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदा के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। ई-मेल/FAX से प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. निविदा दिनांक 30/06/2026, मंगलवार को 16:00 बजे वेतन एवं लेखा अधिकारी, डाकघर: केट, इन्दौर-452013 के कार्यालय में, खोली जाएंगी।
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

निबंधन एवं शर्तें

1. ठेका आवंटन के 10 दिनों की अवधि में ठेकेदार को टी पेन्ट्री चलाने के अनुबंध को क्रियान्वित करना होगा।
2. खाद्य पदार्थों को आरआरकेट द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर ही बेचना होगा। वर्तमान की अनुमोदित दरे अनुलग्नक क में दी गई है।
3. टी पेन्ट्री परिसर में समुचित स्वच्छता बनाए रखनी होगी। सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने की व्यवस्था ठेकेदार को खुद के खर्चे पर रखना होगा।
4. ठेकेदार को टी पेन्ट्री सुचारू रूप से चलाने एवं साफ़-सफ़ाई रखने हेतु पर्याप्त मात्रा में व्यक्तियों/श्रमिकों को लगाना होगा।
5. ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी श्रमिक चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ होने चाहिए एवं उन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं होना चाहिए।
6. ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों को सरकार द्वारा समय-समय निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करना होगा। ठेकेदार सभी सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जैसे काम पर लगाए गए श्रमिकों को वेतन का भुगतान बैंक/चेक द्वारा नियमित एवं समय पर (प्रत्येक माह की 7 तारीख को) करना होगा।
7. ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह वेतन भुगतान का उचित रिकॉर्ड रखे, जिसे आवधिक रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। वेतन रजिस्टर या वेतन-कम-मस्टर रोल रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों के अंत में पदनामित अधिकारी अपने हस्ताक्षर के रिकॉर्ड से निम्नलिखित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र देगा कि:
" यह प्रमाणित किया जाता है कि कॉलम सं. _____ में दर्शायी गयी राशि संबंधित श्रमिक को उसके बैंक खाते _____ द्वारा दिनांक _____ को भुगतान की गई है।"
8. सभी श्रमिकों के पास आरआरकेट परिसर में प्रवेश हेतु पुलिस अधीक्षक, इन्दौर के कार्यालय से जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
9. ठेकेदार द्वारा नियोजित सभी कर्मचारी वर्दी में होंगे एवं अपनी साफ़-सफ़ाई का पूरा ध्यान रखेंगे, जैसे बाल उचित तरीके से कटे हों, नाखून समुचित रूप से कटे हुए हों। कर्मचारियों वर्दी, हाथों में ग्लव्स, हेट/हेयरनेट एवं सुरक्षात्मक साज-सामान के साथ होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां कोई दुर्घटना न होने पाए। पूरी वर्दी/सुरक्षात्मक साज-सामान इत्यादि ठेकेदार को अपने खर्चे पर उपलब्ध कराने होंगे।
10. टी पेन्ट्री की केटरिंग व्यवस्था का हर तिमाही में मूल्यांकन किया जाएगा एवं कार्य निष्पादन ठीक नहीं पाये जाने पर आवंटित ठेके को बिना कोई कारण बताए, निरस्त कर दिया जाएगा।
11. टी पेन्ट्री पूर्णरूप से सरकारी सम्पत्ति है। इस आवंटन हेतु: -
लेज़र बर्कशॉप के पास स्थित चाय पैट्री चलाने के लिए रु 1060/- +(GST 18%) का लाइसेंस शुल्क प्रतिमाह, ₹ 23 प्रति किलोलीटर जल की आपूर्ति हेतु (जल प्रभार की गणना हेतु वाटर मीटर की स्थापना ठेकेदार को अपने खर्चे पर करनी होगी) , विद्युत प्रभार खर्च ₹ 7/- प्रतियूनिट के भुगतान पर, टी पेन्ट्री को चलाने एवं रखरखाव हेतु अनुमति प्रदान की गई है। ठेकेदार चाय नाश्ता बनाने में केवल और केवल एल.पी.जी. का ही प्रयोग करेगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

12. ठेकेदार अथवा श्रमिक/ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक किसी भी प्रकार हेतु आरआरकेट के नाम का उपयोग नहीं करेगा।
13. ब्रोलिदाता को सुरक्षा जमा राशि के रूप में ₹ 20,000/- (₹ बीस हजार मात्र) का भुगतान किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या एफ. डी. आर. द्वारा वेतन एवं लेखा अधिकारी, आरआरकेट के पक्ष में देय, इन्दौर में करना होगा।
14. लेज़र वर्कशॉप के पास स्थित चाय पेंट्री सभी कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय के दौरान (सुबह 0900 बजे से शाम 0530 तक) संचालित करना होगी।
15. ठेकेदार सभी नियोजित सभी कर्मचारीयो का मेडिकल फिटनेस ठेका आवंटन के एक माह की समयवधि में प्रस्तुत करना होगा।
16. सरकारी नियमानुसार बिल पर आयकर कटौती की जाएगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

1. अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें:

- 1.1 आरआरकेट टी पेन्ट्री में संचालन के दौरान ठेकेदार द्वारा या उनके कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही, त्रुटियों, भूल, जानबूझकर एवं अन्य किसी कारण से उत्पन्न जोखिम की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। ऐसी लापरवाही, भूलों, गलतियों से आरआरकेट को होने वाले नुकसान की भरपाई का दायित्व ठेकेदार का होगा।
- 1.2 ठेकेदार उपरोक्त टी पेन्ट्री को न तो नुकसान पहुँचाएगा, न ही किसी को नुकसान पहुँचाने देगा। यदि किसी कारणवश नुकसान हुआ तो ठेकेदार आरआरकेट की संतुष्टि के अनुसार सुधार करेगा। ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्त टी पेन्ट्री को पूरी तरह स्वच्छ रखने हेतु पर्याप्त संख्या में साफ़-सफ़ाई हेतु कर्मचारी तैनात करे।
- 1.3 उपरोक्त टी पेन्ट्री को आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा।
- 1.4 आरआरकेट के पास (a) टी पेन्ट्री में बेचे जाने वाले एवं खुले रखे गए खाद्य एवं पेय पदार्थ की बिक्री को रोकने एवं उन्हें नष्ट करने का अधिकार है। (b) ठेकेदार द्वारा टी पेन्ट्री में प्रदान की जा रही सेवाओं को भी रोकना जा सकता है अगर वह अपेक्षित स्तर की नहीं हो।
- 1.5 आरआरकेट द्वारा निरीक्षण/विश्लेषण की मांग पर किसी भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ या खाना बनाने में इस्तेमाल हो रही सामग्री के सेम्पल निःशुल्क उपलब्ध कराने होंगे। यदि निरीक्षण या विश्लेषण में ठेकेदार द्वारा प्रदान की जा रही ऐसी मदों या सेवा अपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं है, तो ठेकेदार को ऐसी वस्तुएँ या सेवाओं में कमी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित _____ का भुगतान करना होगा। इस विषय में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
- 1.6 ठेकेदार को पकाया हुआ चाय नाश्ता आरआरकेट परिसर से न तो बाहर ले जाने की अनुमति है न ही इन सुविधाओं का उपयोग आरआरकेट परिसर के बाहर आरआरकेट कर्मचारियों के अलावा किसी और के लिए किया जा सकता है।
- 1.7 ग्राहकों के साथ ठेकेदार एवं उनके को कर्मचारियों का व्यवहार विनम्र होना चाहिए। ठेकेदार को टी पेन्ट्री में उचित स्थान पर एक शिकायत पुस्तिका रखनी होगी। जहाँ ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकें एवं उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य से कभी भी देखा जा सके।

- 1.8 आरआरकेट द्वारा विधिवत् रूप से नामित प्रतिनिधि साफ़-सफ़ाई, स्वच्छता एवं खाना बनाने की सामग्री एवं स्वास्थ्यकर दशाओं का भी निरीक्षण करेंगे। उपरोक्त अधिकारी को टी पेन्ट्रीके रसोईघर एवं टी पेन्ट्रीके किसी भी भाग में कभी भी निरीक्षण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त टी पेन्ट्री समिति भी टी पेन्ट्रीमें हो रहे विभिन्न कार्यों की निगरानी रखेगी।
- 1.9 ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी या उनके प्रतिनिधि को उक्त टी पेन्ट्री में निरीक्षण करने एवं इन कार्यों को निष्पादित करने हेतु आने की अनुमति देनी होगी। : (a) आधारभूत सुविधाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य एवं टी पेन्ट्री परिसर में परिवर्तन या मरम्मत कार्य व (b) विद्युत जल प्रणाली, सेनेटरी संबंधी कार्यों एवं उपकरणों की समय-समय पर की जाने वाली मरम्मत कार्य। इन कार्यों हेतु समय एवं दिनांक का चुनाव दोनों पक्षों द्वारा आपसी सुविधा से तय किया जाएगा।
- 1.10 किसी भी कारण से सामग्री, भंडार या बिक्री हेतु रखी वस्तुओं के नुकसान, आदि में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 1.11 ठेकेदार उक्त टी पेन्ट्री में किसी भी प्रकार के प्रिंटेड या लिखी हुई सूचना या विज्ञापन जो भी हो, को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से बिना प्रदर्शित नहीं करेगा।
- 1.12 अगर ठेकेदार यहां उल्लेखित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करता है तो (a) आरआरकेट को यह स्वतंत्रता है कि वह तुरंत इस अनुबंध को निरस्त कर दे (b) सुरक्षा जमा राशि तत्संबंधी उनके कोई हिस्से को आरआरकेट द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
- 1.13 ठेके के समाप्त होने या समयपूर्व निरस्त होने पर आरआरकेट द्वारा सुरक्षा जमा राशि या तत्संबंधी उनका कोई भाग जो ठेकेदार को बिना ब्याज के जब्त नहीं किया गया है, वापस लौटा दिया जाएगा।
- 1.14 ठेकेदार के कार्यनिष्पादन को देखते हुए आगे एक वर्ष या अधिक अवधि हेतु आपसी सहमती के आधार पर ठेके को बढ़ाया जा सकता है।
- 1.15 आरआरकेट किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवा/सामग्री के विरुद्ध भुगतान योग्य बकाया राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ

अनुलपक - क

क्रमांक	खाद्य एवं पेय पदार्थ	खाद्य पदार्थों को वजन	खाद्य एवं पेय पदार्थों के वर्तमान मूल्य (₹) में
1	समोसा	75 ग्राम	12/-
2	आलू बड़ा	75 ग्राम	12/-
3	कचोरी	75 ग्राम	12/-
4	पोहा	100 ग्राम	10/-
5	ब्रेड बड़ा	75 ग्राम	12/-
6	साबूदाना बड़ा	75 ग्राम	12/-
7	गुलाब जामुन	50 ग्राम	20/-
8	समोसा मीठा	75 ग्राम	15/-
9	बालूशाही	75 ग्राम	15/-
10	भजिया	100 ग्राम	20/-
11	चाय	80 मिली ग्राम	10/-
12	कॉफी	80 मिली ग्राम	15/-
13	लेमन टी/ ग्रीन टी	80 मिली ग्राम	10/-
14	कोल्ड ड्रिंक्स , बिस्कुट इत्यादि पैकड खाद्य एवं पेय पदार्थों	प्रिंट रेट पर	
15	इसके अतिरिक्त यदि ठेकेदार कोई अन्य खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा तथा ऐसी सामग्री के मूल्य भी प्रशासन ही निर्धारित करेगा।		
16	ठेके के दौरान दोपहर का खाना (lunch) बनाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।		
	* केवल एक ही प्रकार की चाय का वितरण किया जायेगा। नार्मल/स्पेशल/सुपर चाय के नाम से चाय का वितरण नहीं किया जायेगा।		

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

ठेकेदार के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर के साथ